Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

# नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019

**डॉ. आभा सैनी***

* प्रोफेसर एवं अध्यक्षा (राजनीति विज्ञान) जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

**प्रस्तावना –** नागरिकता एक राजनीतिक स्थिति को दर्शाती है। यह व्यक्ति और राज्य के संबंध को प्रदर्शित करती है। किसी भी देश का नागरिक राजनीतिक समुदाय और राज्य का एक सहभागी सदस्य होता है। किसी भी राष्ट्र में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करके कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है। इसके बदले में राष्ट्रीय सरकार उसे अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करते हैं और नागरिक कानूनों का पालन करते हैं। किसी भी देश के मान्यता प्राप्त नागरिक होने के अनेक फायदे होते हैं, जैसे वहां पर वोट डालने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, वह वहां जमीन खरीद सकता है, स्थाई रूप से निवास कर सकता है, रोजगार कर सकता है, उस राष्ट्र में सार्वजनिक पद धारण कर सकता है, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

**भारतीय संविधान में नागरिकता –** भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग-2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। नागरिकता संघीय सूची का विषय है और संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में आती है। भारतीय संविधान में 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों को बताया गया है। संविधान के यह अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिए गए थे।

अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का वर्णन है, जिस में जन्म लेने वाले अथवा भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। यदि किसी के सामान्य रूप से निवास की अवधि 5 साल रही हो तो भी वह भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को पलायन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं। 19 जुलाई 1949 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में प्रवास किया हो और उसकी माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भी भारत में जन्म हुआ हो तो वह भारत का नागरिक बन जाएगा लेकिन इसके बाद भारत में आने वाले प्रवासियों को पंजीकरण अनिवार्य होगा।

अनुच्छेद साथ में 7 में पाकिस्तान को प्रवसन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का वर्णन है। यह अनुच्छेद पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है। जिसके अनुसार 1 मार्च 1949 को पाकिस्तान जाने वाले ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना जाएगा जो कुछ समय बाद ही पुनर्वास के लिए भारत में पुनर्वास परमिट पर आ गए हो। जो व्यक्ति पाकिस्तान से पलायन कर रहे थे और वहां से शरणार्थी घोषित किए गए और फिर भारत में आए तो उनके प्रति भी सहानुभूति रखी गई और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।

अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं। जिसके अनुसार भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता या दादा-दादी में से कोई भारत में पैदा हुआ हो तो वह भारतीय राजनयिक मिशन के अंतर्गत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है।

अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना वर्णित है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा।

अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्व गामी प्रावधान के अनुसार भारत का नागरिक है, वह संसद की बनी हुई कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा।

अनुच्छेद 11 में संसद द्धारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्धारा विनियमन किया जाना उचित है। नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति अथवा इससे संबंधित किसी भी प्रावधान या मसले पर संसद को प्रावधान का अधिकार प्रदान करता है।

**भारत में नागरिकता प्राप्ति के तरीके –** भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। धारा 3 के अनुसार जन्म से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी यदि उनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ है चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कोई भी हो। 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म लिए हुए व्यक्तियों पर यह प्रावधान लागू होता है लेकिन यदि उसका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच होता है तो उसके माता-पिता में से यदि कोई भारतीय नागरिक है तभी उसे नागरिकता प्राप्त होगी। 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी व्यक्ति तभी भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके माता-पिता में से कोई या दोनों भारत के नागरिक हों और उसका जन्म भारत में हुआ है, जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो।

यदि धारा 4 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पर भारतीय नागरिक है। यदि उसके पिता भारत के नागरिक थे 10 दिसंबर 1992 के बाद और 2 दिसंबर 2004 के बीच वंश के आधार पर उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। दिसंबर 2004 के बाद

यदि कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके माता-पिता को यह बताना होगा कि उसके पास किसी अन्य देश का नागरिकता प्रमाण पत्र पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म भारतीय दूतावास में पंजीकृत हो।

धारा 5 के अनुसार पंजीकरण के द्धारा भी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है बशर्ते कि वह आवेदन करने से पहले 7 साल भारत में रहा हो, ऐसे व्यक्ति जिनके अवयस्क बच्चे भारत के नागरिकों और भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा हो, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाली स्त्री या पुरुष जो पंजीकरण के समय 7 साल से भारत में निवास कर रहे हो।

धारा 6 के अनुसार प्राकृतिक करण के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि वह व्यक्ति 12 साल से भारत का नगर निवासी रहा हो और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में उल्लिखित योग्यताओं को पूरा करता हो।

भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों का प्रावधान करता है अधिनियम में चार बार संशोधन किया गया है। 1986, 2003, 2005 और 2015 (नागरिकता संशोधन अध्यादेश) 1986 का संशोधन जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता का वर्णन करता है। 2003 के संशोधन ने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए इसके प्रावधान और अधिक कठोर बना दिए गए। इस संशोधन से भारतीय नागरिकता के प्रावधान रक्त संबंध के संकीर्ण सिद्धांतों की ओर बढ़ गए, जबकि इससे पहले यह जन्म के आधार पर थे। अब एक अवैध प्रवासी व्यक्ति प्राकृतिक करण या पंजीकरण के द्धारा भारतीय नागरिक नहीं बन सकता है जब तक भारत में 7 साल से भारत का निवासी ना रहा हो।

नागरिकता राष्ट्रीय रजिस्टर 1951 के बाद से तैयार किया गया है। इसमें प्रत्येक गांव के घरों को क्रम में दिखाया गया है और उसमें रहने वाले व्यक्तियों को संख्या और नाम का संकेत दिया गया है। यह केवल एक ही बार 1951 में प्रकाशित हुआ था। 1951 का नागरिकता राष्ट्रीय रजिस्टर और 1971 की मतदाता सूची को एक साथ डिलीवरी डाटा कहा जाता है या लीगेसी डेटा कहा जाता है। जिन व्यक्तियों और उनके वंशजों के नाम इसमें दिखाई देते हैं उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में प्रमाणित किया गया है ।

**भारतीय नागरिकता समाप्ति के तरीके** – किसी भी भारत के नागरिक की नागरिकता निम्न कारणों की वजह से समाप्त हो सकती है:-

1. यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का परित्याग करता है।
2. अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर नागरिकता की समाप्ति।
3. यदि भारत सरकार को यह अनुभव हो कि नागरिकता संविधान के प्रति अनादर किया है या फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की है या भारत से बाहर सात वर्षों से रह रहा हो या युद्ध के समय शत्रु देश के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किये हो या शत्रु के साथ कोई राष्ट्रविरोधी सूचना साझा की हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के पांच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी भी देश में दो वर्ष की कैद की सजा हुई हो।

गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या 1.44 लाख थी जो कोविद काल में 85,256 थी वही 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी। बेहतर रोजगार आवास शिक्षा व सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कारणों से यह प्रवास जारी है।

**नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019** – यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन हेतु पात्र बनाता है। 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के किसी भी व्यक्ति और जिसे केन्द्रीय सरकार ने पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के द्धारा या उसके अधीन अथवा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा किए गए आदेशों के लागू होने से छूट दी है को इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।

इस अधिनियम की यह भी विशेषता है कि इसमें देशीयकरण के लिए भारत में उनके निवास की अपेक्षित अवधि को 11 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है इस की संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इसके अंतर्गत यह भी प्रावधान है इसकी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ की तारीख से इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रवसन या नागरिकता के संबंध में लंबित कोई भी कार्रवाई उसे नागरिकता प्रदान करने पर समाप्त हो जाएगी।

यह अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को पारित किया गया और 10 जनवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था। 11 मार्च 2024 को अधिनियम को आधिकारिक रूप से घोषित कर लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन नागरिकता संशोधन अधिनियम की वेबसाइट पर (citizenshiponline.nic.in) आवेदन कर सकते हैं इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1032 है। आवेदन जमा करने की इच्छुक व्यक्तियों को अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी प्रस्तुत करना होगा। इसके अंतर्गत आवेदन करने वालों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सरकार द्धारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र या पहचान पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र या लाइसेंस जैसे प्रमाणपत्र स्थानीय स्तर पर जमा करने होंगे और इसमें जिला स्तर पर निर्मित एक कमेटी स्थानीय स्तर के स्वीकृत योग्यता और प्रमाण पत्रों की एवं ऑनलाइन प्रार्थना पत्र की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आलोचकों के द्धारा इस नियम की अनेक आधारों पर आलोचना की गई है जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव करने का विशेषकर मुसलमानों को बाहर करने के लिए इस अधिनियम का निर्माण जैसा आरोप लगाया गया है । तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार जैसे अन्य क्षेत्रों से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों के बहिष्कार पर भी सवाल उठाए गए है उन्हें इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है। असम और अन्य पूर्वोत्तार राज्यों में अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए जिसमें यह आरोप लगाया की शरणार्थियों और अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से उनके राजनैतिक अधिकार, संस्कृति और भूमि अधिकारों का नुकसान होगा एवं बांग्लादेश से आगे प्रवसन को बढ़ावा मिलेगा। कानून के पारित होने के बाद भारत में बड़े पैमाने पर विरोध और प्रदर्शन किए गए। राजनीतिक दलों कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एडीएमके जैसे दलों ने इसका पूर्ण

विरोध किया। कुछ राज्यों ने घोषणा भी की कि वे इस अधिनियम को लागू नहीं करेंगे और यह अत्यधिक कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तनाव, असुरक्षा, चिंता और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। आलोचकों का तर्क यह भी है कि यह अधिनियम आने के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी का प्रभाव खत्म हो जाएगा और ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है जो कि नागरिकों और विदेशियों को समानता एवं अधिकार की गारंटी देता है।

सरकार के द्वारा अलोचनाओं का जवाब देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया की नागरिकता केंद्र का विषय है और यह अधिनियम उन लोगों के लिए वरदान है जो विभाजन का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक गणराज्य है जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक स्थिति में है इसलिए उन्हें उत्पीड़ित अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया की नागरिको की भाषाएँ सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान संरक्षित रखी जाएगी।इस अधिनियम से भारत के विदेश नागरिक कार्ड के रद्दकरण से पूर्व भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिको को यह अधिनियम सुनवाई का अवसर प्रदान करता है इससे पूर्व इस तरीके का उपबंध उपलब्ध नहीं था। यह अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले पूर्वोत्तर राज्यों की देश जनसंख्या को प्रदान की गई संवैधानिक गारंटी की संरक्षा करने के लिए और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 की आंतरिक रेखा प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को प्रदान किए गए कानूनी संरक्षण के लिए भी है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. डॉ. बसु दुर्गादास,'भारत का संविधान : एक परिचय', नेक्सस नई दिल्ली।
2. www.hindustantimes.com
3. www.jagranjosh.com
4. www.thehindu.com
5. www.drishtiias.com
6. http://citizenshiponline.nic.in
7. http://loksabhadocs.nic.in

**********